नईदुनिया

खास खबरें

इमामीगेट पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर

नप्र, भोपालः कोतवाली थाना क्षेत्र के इमामीगेट के पास तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार रीना ठाकुर (31) के वाहन को टक्कर मारी गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

करोंद में अज्ञात वाहन चालक पर केस

निशातपुरा थाना क्षेत्र के जेल रोड, करोंद में अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला सामने आया है। पुलिस ने देवीराम अथरवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत

शाहपुरा थाना क्षेत्र में रोहतक नगर निवासी एल.के. श्रीवास्तव (46) की जानकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बरखेड़ी से युवती लापता

जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बरखेड़ी इलाके से 20 वर्षीय अंजली यादव के लापता होने का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस युवती की तलाश कर रही है।

सेमराकला से व्यक्ति गायब

अशोकागार्डन थाना क्षेत्र के सेमराकला निवासी कुवर सिंह (53) बिना बताए घर से चले गए। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कमलानगर से युवक लापता

कमलानगर थाना क्षेत्र के मल्टी नया बसेरा निवासी अनुराग कोरी (19) के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है।

जाटखेड़ी से युवक की गुमशुदगी

मिसरोद थाना क्षेत्र के संजय नगर, जाटखेड़ी निवासी करण कुमार राय (20) के बिना बताए घर से चले जाने पर गुमशुदगी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मकान विवाद में धमकी का आरोप

जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बरखेड़ी में मकान खाली कराने को लेकर विवाद के दौरान रास्ता रोककर गाली-गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने दीपेश और ममता यादव के खिलाफ प्रकरण कायम किया है।

न्यू मार्केट में मारपीट

टीटी नगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट में गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दीपक बाधवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

रातीबड़ में युवक से मारपीट

रातीबड़ थाना क्षेत्र के न्यू टीटी नगर में गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के आरोप में राहुल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

फोन अपडेट के नाम पर 2.44 लाख की ठगी

कजलीखेड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी परिसर में फोन अपडेट करने का झांसा देकर 2 लाख 44 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

बैरागढ़ चीचली में मारपीट का केस

बैरागढ़ चीचली क्षेत्र में गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने की शिकायत पर पुलिस ने फराह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद

निशातपुरा थाना क्षेत्र के संजय नगर, करोंद में पैसों के लेन-देन को लेकर गाली-गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शकील खान और शमशाद खान के खिलाफ प्रकरण कायम किया है।

तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, 200 से अधिक स्थानों पर पेड़ गिरे

70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, बिजली व्यवस्था भी बाधित, देर रात तक अंधेरे में लोगों को गर्मी से होना पड़ा परेशान, काम प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश दर्ज की गई।

लगभग सत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण शहर में कई स्थानों पर पेड़ और उनकी टहनियां गिर गईं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आंधी और बारिश के दौरान शहर के दो सौ से अधिक स्थानों पर पेड़ और शाखाएं गिरने की घटनाएं सामने आईं। इससे कई मुख्य मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया और लोगों को आवाजाही में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अचानक आए मौसम परिवर्तन से शहर में जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया।

तेज हवाओं का असर बिजली व्यवस्था पर भी देखने को मिला। जानकारी के अनुसार लगभग तीन सौ बिजली फीडर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए, जिसके कारण कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। मरम्मत दलों को आपूर्ति बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय रहीं। शाजापुर में ओलावृष्टि दर्ज की गई, जबकि सीहोर जिले के इछावर क्षेत्र में तेज बारिश हुई। पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश के उनतीस जिलों में आंधी और बारिश का असर देखा गया। श्योपुर जिले में लगभग पौने दो इंच वर्षा दर्ज की गई, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम और राजगढ़ जिलों में भी अच्छी वर्षा हुई। आने वाले दिनों में प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस वर्ष मानसून सामान्य समय से कुछ देरी से पहुंचेगा और इसके बीस से बाईस जून के बीच मध्यप्रदेश में प्रवेश करने की संभावना है।

भारत सरकार के मॉडल फायर एक्ट के अनुरूप बनेंगे नियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रालय में प्रस्तावित मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 तथा मध्यप्रदेश कॉलोनी अधिनियम 2026 के प्रावधानों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों विधेयकों में बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार आवश्यक संशोधन कर इन्हें अगले सप्ताह पुनः प्रस्तुत किया जाए।

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित विधेयक को भारत सरकार के मॉडल फायर एक्ट के अनुरूप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में बड़ी इमारतों, उद्योगों और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को देखते हुए अत्याधुनिक उपकरण, उन्नत तकनीक और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता अनिवार्य है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने फायर सेफ्टी ऑफिसर और अन्य तकनीकी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का स्पष्ट निर्धारण करने तथा अन्य राज्यों के नियमों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। सभी भवनों में अनिवार्य रूप से एग्जिट प्लान और फायर पाइपलाइन व्यवस्था प्रदर्शित करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में फायर सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु फायर टैक्स के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने वर्तमान में उपलब्ध फायर स्टेशनों, फायर ब्रिगेड और मानव संसाधन की समीक्षा करते हुए कहा कि भविष्य की जरूरतों के अनुसार नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था की जाए।

डिजिटल गवर्नेंस और आईटी क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा अवसर

भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) द्वारा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी (जीईटी) प्रोग्राम 3.0 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश के इंजीनियरिंग एवं आईटी क्षेत्र के युवाओं को डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक तकनीकी परियोजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होकर 16 जून 2026 तक चलेगी। एमपीएसईडीसी के अनुसार आवेदन में संशोधन की सुविधा 9 से 17 जून तक उपलब्ध रहेगी।

प्रवेश पत्र 25 जून से डाउनलोड किए जा सकेंगे और ऑनलाइन परीक्षा 1 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। इसमें इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा तथा कंप्यूटर साइंस, आईटी एवं समकक्ष विषयों के स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी भी पात्र होंगे। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। परीक्षा 180 मिनट की होगी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा।

विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण विषयक परिचर्चा का आयोजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में 5 जून 2026 को वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं पर्यावरण संरक्षण विषयक परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो एवं संग्रहालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती मालती राय होंगी। कार्यक्रम की शुरुआत 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण से होगी, जिसमें संग्रहालय परिसर में पौधरोपण किया जाएगा। प्रथम सत्र में स्वागत उद्बोधन पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक श्री मनीष गौतम देंगे। इसके बाद केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहायक निदेशक द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। मुख्य अतिथि पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर संबोधित करेंगी।

द्वितीय सत्र में विशेषज्ञ पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखेंगे। मैनिट की डॉ. मीना अग्रवाल ऊर्जा संरक्षण से पर्यावरण संवर्धन पर व्याख्यान देंगी। अन्य विशेषज्ञ सोशल मीडिया की भूमिका और पर्यावरण जागरूकता पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाना है।

'दिव्य फॉल हेरिटेज वॉक' आज, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड निकिता पोरवाल बनेंगी शोस्टॉपर

भोपाल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सदर मंजिल में शुक्रवार, 5 जून को संस्कृति, विरासत और फैशन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। फैशन डिजाइनर अल्पा रावल द्वारा प्रस्तुत 'दिव्य फॉल हेरिटेज वॉक' फैशन शो में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड निकिता पोरवाल सेलिब्रिटी गेस्ट एवं शोस्टॉपर के रूप में विशेष आकर्षण होंगी। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, कला, पुरातत्व और पारंपरिक शिल्प विरासत को समर्पित है। फैशन शो के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के विविध आयामों को आधुनिक फैशन की भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में पारंपरिक परिधानों के साथ मध्यप्रदेश की समृद्ध हस्तकरघा परंपरा को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। शो के मेंटर और विशिष्ट अतिथि हरिओम जटिया और शो की संयोजक अल्पा रावल ने बताया कि शो में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक विशेष प्रस्तुति भी शामिल की गई है। कार्यक्रम के माध्यम से मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट जैसे पारंपरिक वस्त्र एवं हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। शो शाम 7 बजे से शुरू होगा।

भवानुभाव समारोह का शुभारम्भ आज'

भोपाल। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा, आध्यात्मिक भावबोध और सौंदर्य चेतना पर केंद्रित 'भावानुभाव समारोह' का शुभारंभ शुक्रवार को होगा। भारत भवन में आयोजित यह कार्यक्रम 7 जून तक चलेगा। संगीत केंद्र अनहद की ओर से आयोजित इस विशेष समारोह में देश के प्रतिष्ठित नृत्यांगनाओं और कलाकारों की प्रस्तुतियां कला प्रेमियों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत की अनुपम अनुभूति कराएंगी।

गुर्जर महासभा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से की मुलाकात

विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बयान पर कार्रवाई की मांग, भाजपा ने दिया समाज के सम्मान का आश्वासन

भोपाल । भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल से अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर विधायक श्री प्रीतम सिंह लोधी के हालिया बयान पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा।

गुर्जर महासभा ने आरोप लगाया कि विधायक के बयान से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पार्टी गुर्जर समाज के सम्मान के साथ है और उनके योगदान को महत्व देती है। उन्होंने कहा कि विधायक का बयान पार्टी का आधिकारिक मत नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत विचार है। श्री खण्डेलवाल ने बताया कि पार्टी संगठन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही विधायक से चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गुर्जर समाज का देश की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा भाजपा उनके हितों और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतिनिधिमंडल ने त्वरित संज्ञान लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात में महासभा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे।

नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग सुधार सूचना

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम VATSALA SIRSAT एवं जन्मतिथि दिनांक 19/02/1958 दर्ज है वह त्रुटिवश है को परिवर्तन कर मेरा नाम वत्सला सिरसाट (WATSALA SIRSAT) हो गया है। अब मैं WATSALA SIRSAT पत्नी श्री परशराम सिरसाट के नाम से जानी और पहचानी जाली हू मेरी जन्मतिथि दिनांक 19/02/1964 है मेरा पता-र नं.- ए-3/35-36, मेन रोड अम्बेडकर नगर, भोपाल 3. प्र-462003 है जिसे पढ़ा और लिखा जाये।

530

निशातपुरा पुलिस ने वाहन चोरों को किया गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः थाना निशातपुरा पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पांच वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद वाहनों की कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपये बताई जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस उपायुक्त जोन-4 आदर्श कांत शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मलकीत सिंह के मार्गदर्शन तथा सहायक पुलिस आयुक्त अक्षय चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रभारी मनोज पटवा एवं थाना निशातपुरा पुलिस की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिस टीम ने चोरी की घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया, तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग किया तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद 30 मई 2026 को अजीत सिंह बंजारा उर्फ अज्जू उर्फ अजय, विकास लोधी, दौलत जाटव और अभिषेक उर्फ बनवारी कोली को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर थाना निशातपुरा क्षेत्र से चोरी हुई तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

इसके बाद 2 जून 2026 को पुलिस ने एक अन्य वाहन चोर जितेन्द्र सिलावट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार आरोपी, अजीत सिंह बंजारा उर्फ अज्जू उर्फ अजय (23 वर्ष), निवासी शांति नगर, बिलखिरिया, भोपाल।, विकास लोधी (24 वर्ष), निवासी शांति नगर, करोंद, भोपाल।

जाहिर सूचना

(लीस होल्ड आवासीय भवन क्र.67-A, LIG, आशा निकेतन मार्ग, E-6 अरेरा कालोनी, भोपाल के संबंध में)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार ने श्रीमती शुभांगी मिश्रा पत्नी श्री शुभ मिश्रा निवासी 64-A, LIG, E-6, अरेरा कालोनी भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लीस होल्ड संपत्ति व आवासीय भवन जो कि प्लाट क्र. 67-A, LIG, आशा निकेतन मार्ग, E-6 अरेरा कालोनी, भोपाल, म.प्र. 462016 पर निर्मित है, एवं भोपाल नगर निगम के वार्ड क्र. 49, जोन क्र. 10 में स्थित है, एवं जिसके प्लाट का कुल क्षेत्रफल 153.35 वर्गमीटर अर्थात 1650 वर्गफुट है, एवं प्लाट पर निर्मित आवासीय भवन को विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय करने हेतु मेरे पक्षकार एवं श्रीमती शुभांगी मिश्रा के मध्य परस्पर सहमति बनी है। उक्त वर्णित सम्पत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, सोसायटी, शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय, हितबद्ध व्यक्ति, वारिसान इत्यादि, अथवा किसी अन्य संस्थान को कोई आपत्ति/विवाद हो अथवा पूर्व में कोई अनुबंध पत्र निष्पादित हो यहाँ कहीं दान, गिरवी, बंधक, हस्तांतरण, विक्रय-पत्र, अनुबंध इत्यादि हो, तो वह व्यक्ति/संस्था इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के सात (07) दिवस के अन्दर मेरे निम्न पते पर लिखित आपत्ति मय दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें, अन्यथा मेरा पक्षकार उपरोक्त सम्पत्ति का अंतरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन एवं पंजीकरण, इत्यादि करने हेतु स्वतंत्र होंगे। यदि उपरोक्त संपत्ति में कोई आपत्ति/दावा उक्त समयावधि में प्राप्त नहीं होती है, तो यह लेन-देन विधि अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा एवं इसके पश्चात किसी तरह की कोई भी आपत्ति/दावा मान्य नहीं होगा।

अपूर्व तारण जैन अधिवक्ता
पताः चैम्बर क्र.305-307, लायर्स चैंबर्स, जिला एवं सत्र न्यायालय के पीछे, अरेरा हिल्स, भोपाल, मो.9861749337

529

आम सूचना

सर्वसाधारण को मेरी पक्षकारा बैंक/वित्तीय संस्थान **वृद्धि फिनसर्व होम फाइनेन्स लिमिटेड** के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा बैंक/वित्तीय संस्थान के ग्राहक/ऋण प्राप्तकर्ता एवं संपत्ति स्वामी श्री प्रकाश यादव आ. श्री करणसिंह एवं श्रीमती सुनीता यादव पत्नि श्री प्रकाश निवासीगण म.नं.-1545, बारेला गॉव, लालघाटी, भोपाल म.प्र. के स्वयं के स्वत्व, स्वामित्व एवं मालिकाने हक की अचल संपत्ति आवासीय एक किता प्लाट क्र.-43 कार्नर, साईज 750 वर्गफिट जो कि भूमि ख. क्र.-81/7 का अंश भाग होकर ग्राम-पलासी, नगर निगम वार्ड क्र.-75, भोपाल, तहसील हुजूर व जिला भोपाल म.प्र. में स्थित है उक्त प्लाट की चतुर्थ सीमाओं में पूर्व में-रोड, पश्चिम में-प्लाट क्र.-35, उत्तर में-रोड एवं दिशा दक्षिण में-प्लाट क्र.-44 है। एवं त्रुटिवश वर्तमान में भू-राजस्व खसरे में संपत्ति स्वामियों का नाम दर्शित नहीं हो रहा है अतएव यदि उपरोक्त अचल संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्था/बैंक/वित्तीय संस्था/नगर निगम/नगर पालिका/परिषद/नगर पंचायत, भोपाल विकास प्राधिकरण/मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल, गृह निर्माण सहकारी संस्था/समिति/सोसायटी आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/मातालबात आदि हो या किसी भी व्यक्ति-व्यक्तियों के पास कोई अनुबंध आदि हो तो वह मय दस्तावेजी प्रमाण के इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से **07 (सात) दिवस** के भीतर मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करावे, अन्यथा बाद मियाद मेरी पक्षकारा बैंक/वित्तीय संस्थान उपरोक्त संपत्ति से संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान में लंबित ऋण संबंधी कार्यवाही को उक्त वर्णित संपत्ति स्वामी/ग्राहक/ऋण प्राप्तकर्ता के पक्ष में पूर्ण करने/करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगी और बाद मियाद उत्पन्न होने वाली समस्त आपत्तियॉ मेरी पक्षकारा बैंक/वित्तीय संस्थान पर बंधनकारी नहीं होंगी।

भवदीय-
संतोष पाणिक्कर अधिवक्ता
किंग्स कॉम्पलेक्स, डी.बी.मॉल के सामने, द्वितीय तल, प्लाट नं.-244, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल मो.-9806768526

528

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल छाबिस्वे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

एमसीए/37/2024
फिरोज जहॉ बनाम उप नियंतरक महोदय शासकीय केन्द्रीय मुद्रालय भोपाल
NEXT DATE :22-07-2026

प्रेषिती, सर्वसाधारण पता-भोपाल **यह कि प्रार्थी** फिरोज जहॉ ने आपके विरूद्ध एमसीए/37/2024 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 24-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

पवलन कुमार संखवार, न्यायाधीश
छाबिस्वे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)

527

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रॉपर्टी आई. डी. नं.1650200067, आवेदन क्रमांक-12116, आवेदन दिनांक-18/05/2026
क्रमांक 2048 / राजस्व / भौविप्रा /26 भोपाल
दिनांकः 01/06/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की इंद्रपुरी योजना में स्थित भूखण्ड क्रमांक-18, सेक्टर-ए, श्री कमलेश सिंह आत्मज श्री तेज सिंह के नाम पर आवंटित है। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन निर्माण कर प्रकोष्ठा का निर्माण किया गया हैं। उक्त प्रकोष्ठों को विक्रय हेतु श्री विपुल रत्न आत्मज श्री विद्या रत्न के मुख्तारआम नियुक्त कर प्रकोष्ठ क्रमांक 18 बी क्षेत्रफल 1047.32 वर्गफीट प्रथम तल का विक्रय श्री सुधीर श्रीवास्तव आत्मज स्वश्री विमल प्रकाश श्रीवास्तव को विक्रय कर दिनांकः 09/11/2011 को पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री कर दी गई हैं। उक्त पंजीकृत रजिस्ट्री के आधार पर प्रकोष्ठ का नामांतरण अपने नाम पर चाहा गया हैं। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति/दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

526

कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त 01 रापडिया तहसील-कोलार जिला भोपाल म.प्र

क्रं.01/रा.नि./2026 भोपाल, दिनांक 01/6/26

सूचना पत्र

प्रति,1. श्रीमती गीता बाई बेवा खूबीलाल लखन सुनील कुमार सुनीताबाई पिता खूबीलाल नि. बंगरसिया, वीरेन्द्र कुमार शुक्ला पिता वशपति प्रसाद शुक्ला पता बंगरसिया 2-श्री मृत्युन्जय मिश्रा पिता अयोध्या प्रसाद मिश्रा पता रीवा म.प्र. 3-श्री पदमनारायण पिता स्व. श्री खुखराम पता क्वार्टर नं. 144 टाइप सीआरपीएफ बंगरसिया 4-श्री संतोष टंडन पिता गोपाल सिंह टंडन पता 127 अशोका स्टेट रायसेन रोड भोपाल, सिद्धांत चौकसे पिता सुरेश चौकसे एवं वीरेन्द्र शुक्ला पिता श्री वंशपतिशुक्ला पता 111 बंगरसिया, श्री वाहिद मिया पिता गुलाम नबी एवं वीरेन्द्र कुमार शुक्ला आ. बंशपति प्रसाद शुक्ला पता भोपाल, महेन्द्र कुमार कुशवाहा पिता स्व. श्री रामबल कुशवाहा पता जिगनहट, सतना म.प्र., दुर्गेश साहू पत्नी प्रमोद साहू पता 46 मेन मार्केट जहांगीराबाद भोपाल 5-श्रीमती किरण साहू पत्नी आर बी साहू पता एम आई जी 14 सेकन्ड स्टाफ भोपाल 6-श्री वलीराम जाटव पुत्र हरभजन सिंह श्रीमती मनीषा जाटव पत्नि वलीराम जाटव पता पिपलिया कुजरगढ, रामस्वरूप ओमप्रकाश नन्दकिशोर सत्यप्रकाश रानीरजनी बाई बेवा बाबूलाल अनिता पत्नी स्व गजराजसिंह विशाल विशाख वैशाली पिता गजराज सिंह अहिरवार पता भोपाल, ओमप्रकाश अहिरवार पिता ममर लाल अहिरवार पता पिपलिया कुजरगढ 7-श्री रामकिशन पिता प्यारेलाल पता ग्राम भोपाल 8-श्री रामगोपाल पिता प्यारेलाल पता ग्राम भोपाल 9-श्री किशन पिता प्यारेलाल पता ग्राम भोपाल 10-रजनी, नन्दकिशोर, रामस्वरूप, रानी, ओमप्रकाश, सत्यप्रकाश पिता बाबूलाल, रामकलीबाई बेवा बाबूलाल पता ग्राम भोपाल, वैशाली, विशाल, विशाखा पिता स्व गजराजसिंह, अनिता पत्नी गजराज सिंह पता ग्राम भोपाल 11-श्रीमती रेखा शर्मा पत्नि वी डी शर्मा पता चन्द्रपुरा भोपाल व अन्य सहखातेदार 12-श्री सुनील अग्रवाल पुत्र प्रमोद अग्रवाल पता 1 जैन मंदिर रोड भोपाल 13-सर्वसाधारण एवं समस्त हितबद्ध पक्षकार आप सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार तहसील-कोलार जिला-भोपाल के राजस्व प्रकरण क्रमांक- /अ-12/26-2 में आवेदक श्री सुनील कुमार पिता खूबीलाल व अन्य निवासी बंगरसिया द्वारा ग्राम पिपलिया कुंजनगढ प.ह.नं.-02, रा.नि.मं-.01 रापडिया, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल में स्थित भूमि खसरा नं. 70, 71/1/1,71/1/2, 71/2 रकबा क्रमशः 1.6600 हे., 1.0269 हे., 0.0092 हे., 0.0139 हे. कुल रकबा 2.7100 हे. भूमि का सीमांकन किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका न्यायालय के आदेश पालन में आवेदित भूमि का स्थल पर सीमांकन कर जांच प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक, नक्शा, सूचना-पत्र के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। अतः आवेदित भूमि का सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 6/6/26 को समय 10.00 बजे आवेदित स्थल पर की जायेगी। जिसके संबंध में सूचना-पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र तामीली उपरांत आप लोग अनुपस्थित रहते है तो सीमांकन कार्य आपकी अनुपस्थिति की दशा में स्थगित नही किया जायेगा। अतिआवश्यक शासकीय कार्य होने कि स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पडोसी भूमिस्वामी के पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में करा सकता है।

राजस्व निरीक्षक कोलार

524